एकता विश्वास संघर्ष

सत्यमेव जयते

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0

सहयोग सदन, 6-गोखले मार्ग, लखनऊ–226 001

उ0प्र0रा0वि0प0 आदेश सं0 8022-F(IR-I)90H/73 दि0 28.12.74 द्वारा मान्यता प्राप्त

सोसाइटी रजि0 अधिनियम 1860 में पंजीकरण संख्या 2672 दिनांक 08.09.1981

(सम्बद्धता : आल इण्डिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स एवं उ.प्र.डि.इं.महासंघ)

मेल पता : sachivrvpjes@gmail.com मोबाइल : 9415900262, 9452735122 वेबसाइट : www.rvpjes.org

पत्रांकः 119/स–7 दिनांकः 27.08.2021

माननीय अध्यक्ष
उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/
उ0प्र0ज0वि0नि0लि0
14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन
लखनऊ।

विषयः अवर अभियंताओं/प्रोन्त अभियंताओं के ज्वलन्त मांगो/समस्याओं का निराकरण न होने के दृष्टिगत विवशतापूर्वक ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का निर्णय लिये जाने की सूचना।

सन्दर्भः (1) संगठन का पत्रांक : (1) पत्रांकः 21/डी0जी0–21 दिनांकः 22.01.2021
(2) पत्रांकः 45/डी0जी0–21 दिनांकः 23.02.2021
(3) पत्रांकः 49/म–2 दिनांकः 03.03.2021
(4) पत्रांकः 58/म–8 दिनांकः 10.03.2021
(5) पत्रांकः 89/डी0जी0–21 दिनांकः 07.06.2021
(6) पत्रांकः 102/डी0जी0–10 दिनांकः 12.07.2021
(7) पत्रांकः 105/डी0जी0–10 दिनांकः 19.07.2021
(8) पत्रांकः 109/स–7 दिनांकः 24.07.2021
(9) पत्रांकः 113/म–2 दिनांकः 26.07.2021
(10) पत्रांकः 118/डी0जी0–10 दिनांकः 25.08.2021

सन्दर्भः (2) द्विपक्षीय वार्ताओं में बनी सहमतियों का कारपोरेशन द्वारा जारी वार्ता कार्यवृत्त।
(1) पत्र सं0–2570–औ0सं0/2020–87–ए0एस0/96 दिनांक 14 सितम्बर, 2020
(2) पत्र सं0–951–औ0सं0/2021–87–ए0एस0/96 दिनांक 20 मार्च, 2021
(3) पत्र सं0–1532–औ0सं0/2021–87–ए0एस0/96 दिनांक 18 जून, 2021

महोदय,

उपरोक्त विषय में संगठन के संदर्भित पत्रों एवं कारपोरेशन स्तर पर समय–समय पर सम्पन्न द्विपक्षीय वार्ताओं में संवर्ग की लंबित वेतन विसंगतियों, ए0सी0पी0, वरिष्ठता, अधिष्ठान संबंधी समस्याओं, और विभाग की तेजी से बदल रही कार्यप्रणाली के दौरान नित्य प्रति विभागीय कार्यों में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु संगठन द्वारा अनेकों बार अनुरोध किया गया। आप सादर भिज्ञ हैं कि **राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन (उ0 प्र0) विपरीत परिस्थितियों में भी प्रबंधन से संवाद और परस्पर सहयोग के द्वारा संवर्ग की समस्याओं के निराकरण का हिमायती रहा है।** पिछले वर्ष से लगातार चल रही कोरोना महामारी में संगठन के सदस्यों द्वारा प्रदेश के लोकप्रिय सरकार की अपेक्षा के अनुरूप पूरी जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत के साथ कार्य कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखा, जिसकी प्रशंसा प्रदेश के **माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री** जी द्वारा भी की गई। **इस दौरान हजारों की संख्या में संगठन के सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हुए एवं बड़ी संख्या में दिवंगत हुए परंतु इसे बेहद कठिन समय में भी संगठन के सदस्यों द्वारा विद्युत उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण में अपने स्तर पर तनिक भी व्यवधान नही आने दिया।**

उपरोक्त विषम परिस्थिति में संगठन द्वारा अपनी न्यायोचित मांगों/समस्याओं का प्रभावी निराकरण हेतु लगातार प्रयास करता रहा। इसी क्रम में दिनांक 08.09.2020 से **"सहयोग सत्याग्रह"** किया जिसके अंतर्गत संगठन के सदस्य जूनियर इंजीनियर एवं प्रोन्नत अभियंता **लगातार 48 घंटे अपने कार्यालय/कार्य–स्थल पर उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का त्वरित निष्पादन कर प्रदेश सरकार के " उपभोक्ता देवो भवः " के स्लोगन के अनुरूप उपभोक्ता सेवा को प्राथमिकता पर निष्पादित किया जो कि आज के परिवेश में श्रम आंदोलन में एक अलग प्रकार का रचनात्मक सहयोग सत्याग्रह की घटना रही है।** तत्पश्चात भी समस्याओं के समाधान न होने पर **दिनांक 06.03.2021 को शक्ति भवन** पर संगठन के **केंद्रीय अध्यक्ष, केंदीय महासचिव एवं माननीय संरक्षक** द्वारा एक दिवसीय **मौन–सत्याग्रह** द्वारा संवर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु ऊर्जा प्रबन्धन का ध्यानाकृष्ट कराया। मौनव्रत सत्याग्रह के दौरान सम्पन्न द्विपक्षीय वार्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिये जाने के **बावजूद भी संवर्ग की महत्वपूर्ण माँगों/समस्याओं का निराकरण अभी तक प्रतीक्षित है। इसके बाद भी संगठन द्वारा सकारात्मक रुख रखते हुए विद्युत थानों, ई0आर0पी0 की समस्याओं, तथा अन्य ज्वलन्त विषयों पर शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन को बेहद सकारात्मक एवं व्यावहारिक सुझाव दिए गए।** प्रबन्धन द्वारा संगठन के कई सुझावों पर सहमति व्यक्त किये जाने के बाद भी समुचित कार्यवाही न किये जाने से संगठन अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है।

यह भी सूच्य है कि शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन एवं संगठन के मध्य सम्पन्न समझौतों/सहमतियों के एकदम उलट **कारपोरेशन द्वारा ए0सी0पी0 के अंतर्गत वेतन निर्धारण संबंधी अपने आदेश संख्या 1037–कविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/20–13 कविनी एवं वे/प्र0/09दि0–14.09.2020 का क्रियान्वयन न किया जाना तथा प्रकरण उ0प्र0 शासन को प्रेषित कर अनावश्यक रूप से उलझाया जाना संगठन के साथ वादाखिलाफी और अन्याय की पराकाष्ठा रहा।** इस वादाखिलाफी/अन्याय के विरोध में तथा न्यायोचित लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु **संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा** विगत कई माह से वेतन आहरण न कर प्रबंधन का ध्यानाकर्षण कराया गया परंतु इस सहज ध्यानाकर्षण को प्रबंधन द्वारा संज्ञान में न लेकर संगठन को सामूहिक आंदोलन के लिए विवश किया गया।

कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा उ0प्र0पा0का0लि0 सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यां0) की जारी अनन्तिम वरिष्ठता प्रकरण पर विभागीय नियमावली और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित **मौलिक नियुक्ति के तथ्यों सहित संगठन द्वारा कार्या0 पत्रांक 105/डी0जी0–10 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से कारपोरेशन को आपत्तियाँ प्रेषित किये जाने के साथ ही प्रभावित प्रोन्नत अभियन्ताओं द्वारा भी व्यक्तिगत रूप से भी आपत्तियाँ प्रेषित की गयी परन्तु कारपोरेशन द्वारा आपत्तियों का निस्तारण न किया जाना न सिर्फ विद्यमान नीति एवं नियमों की अनदेखी करना अपितु संगठन के तर्कसंगत सकारात्मक तथ्यों की अनदेखी कर प्रोन्नत अभियन्ताओं के साथ अन्याय किये जाने को बल प्रदान करता है।**

उपरोक्त के अतिरिक्त **विभागीय कार्यों का उचित सम्पादन हेतु न्यूनतम आवश्यक सामग्री, मानव संसाधन एवं कार्य हेतु समय उपलब्ध कराए बिना विद्युत उत्पादन से लेकर वितरण क्षेत्र तक में सदस्यों पर अव्यवहारिक रूप से लगातार दबाव बनाया जा रहा है तथा वीडियो कान्फ्रेसिंग (VC) में सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने से जूनियर इंजीनियर/प्रोन्नत अभियंता मानसिक तनाव एवं अवसाद की स्थिति में है। छोटे–छोटे प्रकरण पर उच्च स्तर से विभागीय कार्यवाहियां संस्थापित हो रही हैं। गुणावगुण पर सम्यक विचार किए बिना जल्दबाजी में दण्ड दिया जाना तथा प्रकरण निक्षेपित होने के उपरांत पुनः जांच के आदेश कर विभाग में भयादोहन का वातावरण बनाया गया है जो कि कदापि उचित नही है।** वही कार्यदायी एजेंसियों पर ऊर्जा प्रबन्धन का कोई नियंत्रण नहीं है। उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/जल विद्युत निगम में उपरोक्त आवश्यक न्यूनतम संसाधनों व उत्पादन निगम में कोयले के भुगतान, मशीनों के अनुरक्षण, स्पेयर पार्ट्स के भुगतान हेतु धन की उपलब्धता कराये बिना लक्ष्यों की शतप्रतिशत प्राप्ति की अपेक्षा किया जाना कुप्रबन्धन का द्योतक है।

इसी क्रम में संगठन की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति एवं उच्चाधिकार समिति की सम्पन्न बैठक में प्रदेश के सभी जनपदों, तापीय/जल विद्युत परियोजनाओं के संगठन पदाधिकारियों ने प्रतिभाग कर उपरोक्त परिस्थितियों पर चिन्तन–मनन किया। बैठक में गम्भीर विचार–विमर्श के बाद पदाधिकारियों द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की उपरोक्त स्थितियां, संगठन की न्यायोचित मॉगों/समस्याओं के निराकरण पर ऊर्जा प्रबन्धन की उपेक्षापूर्ण रवैये और सहमतियों पर वादाखिलाफी तथा अवर–अभियन्ता/अभियन्ता संवर्ग के विरूद्ध हो रहे अनवरत प्रतिगामी आदेशों/उत्पीड़न पर गहरी नाराजगी एवं आक्रोश व्यक्त किया गया। **केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के क्रम में संलग्न मॉग–पत्र के बिन्दुओं का न्यायसंगत निराकरण न होने पर ध्यानाकर्षण आन्दोलन के माध्यम से ऊर्जा प्रबन्धन का ध्यानाकर्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में प्रस्तावित ध्यानाकर्षण कार्यक्रम निम्नवत् है :–**

ध्यानाकर्षण कार्यक्रम

क्र0सं0	दिनांक	ध्यानाकर्षण कार्यक्रम	कार्यक्रम स्थल।
01	07.9.2021	विभागीय उच्चाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन प्रेषण।	ऊर्जा क्षेत्र के समस्त मंडल स्तर पर।
02	08.09 2021 से 12.09.2021 तक	मा0 जनप्रतिनिधिगण, को ज्ञापन प्रेषित किया जाना।	प्रदेश के सभी जनपद/परियोजना स्तर पर।
03	13.09.2021 से	24 घंटे का सामूहिक उपवास (प्रातः 10:00 बजे से अगले दिन 10:00 बजे तक – पाली कार्य को छोड़कर)।	सभी जनपद/परियोजना मुख्यालयों के शीर्षस्थ विभागीय कार्यालय पर।
04	17.09.2021 से 18.09.2021 तक	दो द्विवसीय क्रमिक अनशन (प्रातः 10:00 बजे से – पाली कार्य को छोड़कर)।	सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय एवं परियोजना मुख्यालयों पर।
05	24.09.2021 से अनवरत	अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन प्रातः 10:00 बजे से (न्यूतम 51 सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा)	शक्ति भवन, लखनऊ पर।
विशेष :–दिनांक 07.09.2021 से आंदोलन जारी रहने (उपरोक्त घोषित सामूहिक उपवास एवं दो द्विवसीय क्रमिक अनशन तिथियों को छोडकर) तक समस्त अवर अभियन्ता/प्रोन्नत अभियन्ता नियमानुसार कार्य (वर्क टू रूल) करेंगे तथा बेनियम कार्यों का बहिष्कार करते हुए जनपद/परियोजना शाखा पर सायं 5:00 से 6:00 तक विरोध सभा करेंगे।			

उपरोक्त ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के बाद भी यदि ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा संगठन के संलग्नक माँग पत्र पर परिणामपरक/सकारात्मक कार्यवाही न किये जाने अथवा आन्दोलन के दौरान किसी सदस्य/पदाधिकारी का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किये जाने की स्थिति में वर्तमान आन्दोलन नोटिस के निरन्तरता में संगठन तत्काल निर्णय लेकर आन्दोलन के अगले चरण अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार अथवा जेल भरो आन्दोलन जैसे वृहद आन्दोलन की घोषणा हेतु विवश होगा।

अतएव आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया सकारात्मक पहल करते हुए कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करने वाले धरातल पर कार्यो को अमली जामा पहनाये जाने तथा शासन एवं निगम के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिन–रात पूर्ण मनोयोग से सेवारत **अवर अभियन्ताओं/प्रोन्नत अभियन्ताओं की लम्बित न्यायोचित माँगों एवं संगठन के साथ पूर्व में बनी विभिन्न सहमतियों/समझौतों के अनुरूपता में समस्याओं का प्रभावी निराकरण हेतु परिणामपरक आदेश निर्गत किये जाने की कृपा करें, जिससे कि यह संवर्ग किसी वृहद आन्दोलन जैसे पीड़ादायक**

निर्णय से बचकर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार की मंशा के अनुरूप ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति/उन्नति में अपना सम्पूर्ण योगदान दे सके एवं ऊर्जा क्षेत्र में औद्योगिक शान्ति का वातावरण बनाये रखा जाना सम्भव हो सके।

सहयोगी भावनाओं सहित।

संलग्नक : संगठन का माँग पत्र।

(जय प्रकाश)
केन्द्रीय महासचिव

पत्रांक : 119/स–7 तददिनांक : 27.08.2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
2. मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
3. मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

(जय प्रकाश)
केन्द्रीय महासचिव

पत्रांक : /स–7 तददिनांकः

4. मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
5. मा0 अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0शासन लखनऊ।
6. मा0 मुख्य सचिव (गृह) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0पा0का0लि0/ज0वि0नि0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 रा0वि0उ0नि0लि/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
10. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0),उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. जिलाधिकारी लखनऊ।
13. पुलिस आयुक्त लखनऊ।

(जय प्रकाश)
केन्द्रीय महासचिव

पत्रांक : /स–7 तददिनांकः

14. अध्यक्ष/महासचिव अखिल भारतीय पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ/अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ/उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ।
15. अध्यक्ष/महासचिव समस्त घटक संघ उ0प्र0डि0इं0 महासंघ।
16. समस्त अध्यक्ष/सचिव,निगम/अंचल/क्षेत्र/परियोजना/जनपद रा0वि0प0जू0इं0सं0उ0प्र0।
17. समस्त सम्मानित सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रा0वि0प0जू0इं0सं0उ0प्र0।
18. संगठन कार्यालय प्रति।

(जय प्रकाश)
केन्द्रीय महासचिव

माँग – पत्र

1. **अवर अभियन्ता की ए0सी0पी0 दीर्घा में आने वाले नान फंक्शनल ग्रेड वेतन 4800/– के वेतनमान को ए0सी0पी0 की दीर्घा से विलोपित कर प्रथम समयबद्ध वेतनमान ग्रेड पे 5400/– किया जाए।**
2. **अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत कार्मिकों, जिनके तृतीय ए0सी0पी0 के आदेश दिनांक 01.01.2020 एवं 16.08.2021 को निर्गत किया जा चुके है उनका वेतन निर्धारण निगम/कारपोरेशन में विद्यमान व्यवस्था के क्रम में ग्रेड वेतन 8700/– (लेवल–12) में निर्धारित कर वेतन पर्ची अतिशीघ्र जारी की जाए।**
3. अवर अभियन्ता का ग्रेड वेतन रू0 4600/– को 6वे वेतन की प्रभावी तिथि दि0–01.01.2006 से लागू किया जाए।
4. सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता के द्वितीय ए0सी0पी0 के प्रारम्भिक वेतनमान पर देय 02 वेतन वृद्धि लाभ के अनुरूपता मे प्रोन्नत सहायक अभियन्ता के तृतीय ए0सी0पी0 में प्रारम्भिक वेतनमान पर 02 वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया जाये।
5. **प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का वरिष्ठता निर्धारण सेवा नियम के तहत संगठन द्वारा प्रस्तुत किये गये पक्ष/आपत्तियों पर समग्रताओं में विचार को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार न्यायपरक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।**
6. वर्ष 2000 के पश्चात उ0प्र0 ऊर्जा के समस्त निगमों के सेवा में आये कार्मिकों पर पुरानी पेशन योजना (जी0पी0एफ0) व्यवस्था की पुर्नबहाली की जाए।
7. अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं के वार्षिक ए0सी0आर0 के नये प्रारूप में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु संगठन द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूपता में प्रबन्धन से बनी सहमतियों के क्रम में संशोधन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए।
8. अवर अभियन्ताओं को साइट स्टोर उपलब्ध कराये जाने हेतु बनी स्पष्ट सहमतियों के क्रम में यथाशीघ्र उचित आदेश निर्गत किये जाए।
9. संगठन द्वारा विद्युत थानों एवं प्रवर्तन दल का उचित सदुपयोग एवं विद्युत चोरी पर प्रभावी रोकथाम हेतु दिये गये सुझावों को लागू किये जाने के लिए आवश्यक आदेश एवं दिशा–निर्देश जारी किये जाये।
10. **विभिन्न एप्प/पोर्टल तथा ERP माध्यम से कार्य सम्पादन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र किये जाये** एवं पोर्टल/ERP में व्यवस्था–दोष के कारण त्रुटिपूर्ण आँकडों के आधार पर जूनियर इंजिनियरों एवं प्रोन्नत अभियन्ताओं के विरूद्ध की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों पर तत्काल विराम लगाया जाए एवं अव्यावहारिक जाँचों के आधार पर अवर अभियन्ताओं/प्रोन्नत अभियन्ताओं के उत्पीड़न की कार्यवाही अतिशीघ्र समाप्त कराये जाए।
11. उ0प्र0 ऊर्जा के समस्त निगमों में कार्य की अतिभारिता एवं लक्ष्यों की व्यावहारिक प्राप्ति के दृष्टिगत यार्डस्टिक के अनुसार काार्मिकों के नये पदों के सृजन एवं भर्तियों की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कराए जाए एवं पा0का0लि0 में नवसृजित उपखण्डों को सुचारू रूप से संचालन हेतु यथावश्यक न्यूनतम संसाधनों की व्यवस्था सहित उनके विरूद्ध सहायक अभियन्ताओं की तत्काल तैनाती की जाए।
12. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में अवर अभियंताओं एवं अन्य कार्मिकों की भारी कमी को सीधी भर्ती/प्रोन्नति द्वारा भरा जाए। वर्षों से लंबित जल विद्युत निगम का उ0प्र0रा0वि0उ0नि0 मे विलय अतिशीघ्र किया जाए तथा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 का उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 में विलय किया जाए।

13. उ0प्र0रा0वि0 उत्पादन निगम लि0 में विभिन्न भत्तों को पुनरीक्षण 7वे वेतन आयोग की अनुरूपता में किया जाए, प्रोत्साहन भत्ते के लंबित आदेश निर्गत किया जाए तथा जवाहरपुर परियोजना की विशेष परिस्थितियों के कारण पूर्व में दिए जा रहे निर्माण भत्ता एवं विशेष नगर प्रतिकर भत्ता को स्थगित कर दिया गया था, उसे तत्काल बहाल किया जाय एवं परियोजनाओं पर चिकित्सा और आवास की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।

14. पा0का0लि0 की अनुरूपता में उ0नि0लि0 में अवर अभियन्ता (वि0 एवं यां0) से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति कोटा 1.33% कोटे का समानुपातिक रूप से विलय करते हुए क्रमशः 41.10% एवं 8.56% का आदेश जारी कराये जाने के साथ रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति की कार्यवाही अतिशीघ्र कराये जाए।

15. पा0का0लि0 में प्रचलित ई0आर0पी0 की अनुरूपता में उ0नि0लि0 में प्रस्तावित ई0आर0पी0 की व्यवस्था में भी अवर अभियन्ता को उसके विशिष्ट कार्यो के निष्पादन हेतु अधिकार/व्यवस्था प्रदान की जाए।

16. विगत समय में संगठन एवं प्रबन्धन के मध्य हुयी वार्ता के क्रम में जारी कार्यवृत्त एवं सहमतियों के अनुरूप तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर उचित आदेश जारी किये जाये।

17. कोरोना संक्रमण से दिवंगत विद्युत कार्मिकों, जूनियर इंजीनियरों/अभियन्ताओं के परिजनों को उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक अनुग्रह राशि रू0 50.00 लाख की स्वीकृति व भुगतान यथाशीघ्र किया जाये एवं उ0प्र0ऊर्जा के समस्त निगमों में चिकित्सा हेतु कैशलेस व्यवस्था तत्काल लागू कराया जाए।

18. सेवानिवृत्त अवर अभियन्ताओं/प्रोन्नत अभियन्ताओं के विभिन्न समस्याओं के सन्दर्भ में पूर्व में संगठन द्वारा प्रेषित माँग पत्रों पर विचार कर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र कराया जाए।

(जय प्रकाश)
केन्द्रीय महासचिव